



दिनांक: 10 मई, 2016

पत्रांक : 2040-2 B 40310/1931 /05-173-2015/2016

प्रबंधक,
विश्व कन्या पीठवाली कालो,
उरमीरा, राबटसगंज,
श्रीनगर।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अर्जमति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 17.06.2015 के सम्बन्ध में सूचित है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन 2014) एवं तद्विषयक विधायी अजमागा-1 द्वारा निर्मित अधिसूचना संख्या-975/79-1-14-1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय को कार्यपरिषद में अन्तर्हित/निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-2527/सत्तर-2-2008-2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 10.05.2016 को संयुक्ति एवं मा10 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में विन्ध्य कन्या पीठवाली कालो, उरमीरा, राबटसगंज, श्रीनगर को स्वतंत्रतापूर्वक संचालनाधिकार प्रकाश में स्नातक स्तर पर बीएड पाठ्यक्रम में 50 सीट (01 यूनिट) की प्रवेश क्षमता सहित प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रवेश करने एवं उसके बाद प्रवेश करने के लिए विद्यार्थियों को आलाक में मानक पूर्ण होने के सम्बन्ध में एनओसी0210ई0 द्वारा संशोधित पत्र/आदेश निर्गत होने के उपरान्त तदनुसार अंतिम रूप से छात्र संख्या (यूनिट) का निर्धारण किया जाएगा।

1. एनओसी0210ई0 (विक्रमाजीवन नाम्नी एड प्रोसीजर) विनियम 2014 को स्वीकार करने एवं उसके मानकों को पूर्ण करने के लिए गये शपथ पत्र के आलाक में मानक पूर्ण होने के सम्बन्ध में एनओसी0210ई0 द्वारा संशोधित पत्र/आदेश निर्गत होने के उपरान्त तदनुसार अंतिम रूप से छात्र संख्या (यूनिट) का निर्धारण किया जाएगा।

2. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय में अर्जमाहित बीएड पाठ्यक्रम/प्रवक्तृओं को कार्यभार ग्रहण कराकर विषयक कार्य किया जाएगा एवं उन्हें सीटों के संख्या में वहीन भूतपूर्व विद्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण कराकर जाया जाएगा।

3. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) में प्रावधानित पर्यटक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की दिशा में एक माह की अवधि में सभी निवेशित मानकों को पूर्ण कर दिया जाएगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलपति एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा आधिकारी को 15 अगस्त तक इस आदेश का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करना कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

5. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में अर्जमन्थ सम्बद्धता की शर्तों को संतुलित एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र हेतु होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवेदित अभ्यर्थियों से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षणिक दिवसों में पठन-प्राप्ति करना सुनिश्चित किया जाएगा।

6. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को सम्बद्धता रूप से पूर्ण करेगी और उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन करेगी।

7. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2861/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सूचनाएं दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।